(72) 7

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मंण्डल म.प्र.ग्वालियर म.प्र.

अपील 681-III-15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

33
2.2.15

1– राजेश्वरी भट्ट तनय स्व.राजेश भट्ट
2– दीपक भट्ट तनय प्रेमदत्त भट्ट
उपरोक्त निवासी ग्राम सेमरिया तहसील सेमरिया जिला रीवा म.प्र.

........**आवेदक गण**

बनाम

1– मंन्जू भट्ट पति हरिदत्त भट्ट
2– राहुल भट्ट तनय हरिदत्त भट्ट
3– राधा सोनी पत्नी मुनीन्द्र सोनी
4– सुजीत सोनी तनय मुनीन्द्र सोनी
5– ऋषी भट्ट तनय हरिदत्त भट्ट
उपरोक्त निवासी ग्राम सेमरिया तहसील सेमरिया जिला रीवा म.प्र.

..........**अनावेदक गण**

द्वारा द्विवेदी एड. के दिनांक 02.02.15
पत्र

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 29 (1) म.प्र. भू.रा.सं. 1959 बावत माननीय अपर आयुक्त महोदय रीवा के प्रकरण कमांक 1263/2012–13 नियत पेशी दिनांक 04/2/15 को ट्रांसफर किए जाने हेतु जो अपील विरुद्ध आदेश अनुविभार्गीय अधिकारी महोदय तहसील सिरमौर जिला रीवा म.प्र. के पंजीकृत प्रकरण क. 27 अ 6/11–12 पारित आदेश दिनांक 31/5/13 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 44 (2) म.प्र.भू.रा.सं. के अधीन पेश की गई है।

क्रमांक 4789
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ___ को प्राप्त

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न प्रकार है।

1– यह कि विचाराधीन प्रकरण माननीय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के यहां विचाराधीन है जिसकी तारीख पेशी 04/2/15 नियत है। आवेदक कमांक 1 गरीब,असहाय व विधवा है जबकि अनावेदक गण नगर व जिले के सोने–चॉदी के प्रमुख विकेता व राजनीति मे काफी प्रभावशाली ब्यक्ति है।

2– यह कि माननीय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के यहां प्रस्तुत अपील दिनांक 31/08/13 से निरंतर 15 दिवस एवं एक–एक माह के अंदर अंतराल के बीच न्यायालय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.681–III/15 जिला–रीवा

राजेश्वरी भट्ट/मन्जू भट्ट

(1)	(2)	(3)
22.03.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	